प्ररुप 5

(नियम 59(1) (ग) और नियम 61(1) देखिए)

(केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम 1981 का नियम 5(2) नियम 12, नियम 13(3), नियम 14(1) और नियम 15(3) देखें)

निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक से उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिप्राप्त की जाने वाली विशि-टियाँ

1. नाम
2. (क) आयकर के लिए स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)
   (ख) आधार संख्या, यदि उपलब्ध है
3. पहचान के कुछ चिन्ह विनिर्दि-ट करें जो दो से कम न हो, यदि संभव हो
   (i)
   (ii)
4. ऊंचाई
5. भावी पत्रव्यवहार के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् पता/स्थायी पता
6. बैंक खाता संख्यांक जिसमें पेंशन जमा की जानी है:
   (संयुक्त खाता, या तो उत्तरजीवी या, पति या पत्नी के साथ)
   (यदि कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि किसी निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का उसके नियंत्रण से परे कारणों से संयुक्त खाता खोला जाना संभव नहीं है, तो इस अपेक्षा को शिथिल किया जा सकेगा ।)
7. बैंक की शाखा का नाम जिसके माध्यम से पेंशन ली जानी है
   (क) शाखा का बी एफ आर कोड
   (ख) शाखा का आई एफ एस सी कोड

8. उपदर्शित करें कि क्या कुटुंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञेय है - सेना या राज्य सरकार और/या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लोक उद्यम उपक्रम/स्वायत निकाय/स्थानीय निधि

9. मैं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार अपनी अधिवर्-िता पेंशन का ....प्रतिशत (40 प्रतिशत तक) के संराशीकरण की वांछा करता हूँ ।

मैं अवगत हूँ कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का भावी अच्छा आचरण पेंशन/ कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और इसके जारी रहने के लिए विवक्षित शर्त होगी ।

जांच सूची के अनुसार संलग्नक संलग्न हैं

हस्ताक्षर :
पदाभिधान :
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय :
मोबाइल नं :
ई-मेल आईडी...............

स्थान.............
तारीख...........

टिप्पण 1 : पेंशन का संराशीकरण वैकल्पिक है । मद 9 हटा दी जाए यदि निवृत्त होने वाला सरकारी सेवक, पेंशन की प्रतिशतता को संराशित करने के लिए इच्छुक नहीं है ।

टिप्पण 2 : केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के प्ररुप 1क में अधिवर्-िता पेंशन के संराशीकरण के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी यदि निवृत्त होने वाला सरकारी सेवक इस प्ररुप के प्रस्तुत करने के पश्चात् किंतु सेवानिवृत्त के तीन मास पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए वांछा करता है ।

टिप्पण 3 : यह सरकारी सेवक के हित में है कि वह ई मेल आई डी और मोबाइल नं0 दे जो उनमें भावी पत्र व्यवहार को सुकर बनाएगा ।

प्ररुप 5 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्रम सं0	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का वर्णन	क्या संलग्न किया गया है
1. (क) (ख)	हस्ताक्षर के दो नमूने (पृथक पन्ने में प्रस्तुत किया जाए) अतिरिक्त जानकारी (केवल निरक्षर या निःशक्त सरकारी सेवक के मामले में) :- दो पर्चियाँ जिनमें से प्रत्येक पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर करने योग्य साक्षर नहीं है, उसके बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापें जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई है, दी जाएगी । यदि ऐसा सरकारी सेवक शारीरिक निःशक्तता के कारण बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप देने में असमर्थ है तो वह दाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप दे सकता है । जहां सरकारी सेवक के दोनों ही हाथ न हो तो वह अपने पांव की अंगुलियों की छापे दे सकता है । छापों को किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए ।	
2.	पति या पत्नी के साथ पासपोर्ट फोटो आकार के संयुक्त फोटोग्राफ की तीन प्रतियां । जहां किसी सरकारी सेवक के लिए अपनी पत्नी या अपने पति के साथ फोटो देना संभव नहीं है तो वह अलग से फोटो दे सकेगा/सकेगी । फोटो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे । निःशक्त बच्चे/सहोदर/निर्भर माता-पिता के पासपोर्ट फोटो आकार के फोटो की तीन प्रतियां, जहां लागू है (कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित)	
3.	प्ररुप 3 में कुटुंब का ब्यौरा	
4.	उन व्यक्तियों के लिए जो सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 8 में निर्दि-ट सुरक्षा संबंधी या आसूचना संगठनों में सेवा कर चुके हैं, प्ररुप 26 में वचनबंध	
5.	59(1)(क) के अधीन सेवा की अवधि की गणना के लिए लिखित कथन, यदि कोई है ।	
6.	पेंशन संवितरक बैंक द्वारा किए गए किसी अधिक संदाय के प्रतिदाय के लिए वचनबंध	
7.	सामान्य नामनिर्देशन प्ररुप में उपदान, सी जी ईजीआइएस और जी पी एफ के लिए नामनिर्देशन	
8.	सामान्य नामनिर्देशन प्ररुप में पेंशन के संराशित मूल्य (यदि पेंशन संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है) और पेंशन के बकाया के लिए नाम निर्देशन	

प्ररुप 12

(नियम 77(2) देखिए)

सरकारी सेवक की मृत्यु पर मृत्यु उपदान दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररुप

(प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग-अलग भरा जाए और अवयस्क दावेदार की दशा में वह प्ररुप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा जाए । एक से अधिक अवयस्कों की दशा में संरक्षक को उनकी ओर से एक ही प्ररुप में उपदान का दावा करना चाहिए)

1. (i) मृत सरकारी सेवक का नाम जिसकी बाबत उपदान का दावा किया जा रहा है ।
   (ii) सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख
   (iii) कार्यालय/विभाग/मंत्रालय जिसमें मृत व्यक्ति ने अंतिम सेवा की थी

2. दावेदार (रों) का नाम और अन्य ब्यौरे

क्रम सं0	नाम	जन्म तारीख	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी	डाक पता

3. यदि दावेदार अवयस्क है (हैं) तो संरक्षक का ब्यौरा

क्रम सं0	नाम	जन्म तारीख	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी	डाक पता

4. खाता संख्यांक के साथ बैंक के ब्यौरे, ई-संदाय/ई सी एस के लिए आई एफ सी कोड

दावेदार/ संरक्षक के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

संलग्नक --

(i) मृत्यु प्रमाणपत्र

(ii) जन्म का प्रमाणपत्र (अवयस्क व्यक्तियों की दशा में)

(iii) दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर/बाएं हाथ में अंगूठे और अंगुली के नमूने

प्ररुप 14

(नियम 77 (3) और नियम 81 (2) देखिए)

सरकारी सेवक/पेंशन भोगी/कुटुंब पेंशन भोगी की मृत्यु पर कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन का प्ररुप

1. (i) सरकारी सेवक का नाम जिसकी बाबत कुटुम्ब पेंशन का दावा किया जा रहा है

(ii) अंतिम सेवारत कार्यालय/विभाग/मंत्रालय

(iii) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख

(iv) सरकारी सेवक/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख

(v) सरकारी सेवक/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशन भोगी का पी पी ओ संख्यांक

2. दावेदार का नाम और अन्य ब्यौरे

नाम	जन्म की तारीख	मृत सरकारी सेवक से नातेदारी	डाक पता

3. यदि दावेदार अवयस्क है या मस्ति-क के विकार या निःशक्तता से पीड़ित है जिसमें मानसिक मंदन भी सम्मिलित है तो अभिभावक/नामनिर्देशिती के ब्यौरे दें जहां कहीं लागू हों

नाम	जन्म तारीख	अवयस्क/ मानसिक अशक्त के साथ नातेदारी	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी	डाक पता

4. मृत सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की उत्तरजीवी विधवा/विधुर, बालक आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों भाइयों और बहनों के ब्यौरे प्ररुप 3 में संलग्न हैं

5. खाता संख्यांक, उस बैंक का नाम और शाखा का बी एस आर कोड जिसमें कुटुंब पेंशन जमा की जानी है ।

6. कुटुंब पेशन का अन्य स्रोत -सेना या राज्य सरकार और/या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सैक्टर उपक्रम/स्वायत निकाय/स्थानीय निधि, यदि कोई है ।

मैं अवगत हूँ कि दावेदार/कुटुंब पेंशनभोगी का भावी अच्छा आचरण, कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और इसके जारी होने के लिए विवक्षित होगा ।

संलग्न -- जांच सूची के अनुसार

दावेदार/संरक्षक के बाएं हाथ के अंगूठे की छाप
मोबाइल/टेलीफोन सं0..............................
आयकर का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन सं0)................................
आधार संख्या यदि उपलब्ध है...

नाम और पूर्ण पतों सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर

(i)

(ii)

टिप्पण: प्ररुप 14 को न भरा जाए यदि पति या पत्नी का मृत पेंशन भोगी के साथ संयुक्त खाता था । ऐसे मामलों में, कुटुंब पेंशन को सादे कागज पर आवेदन के आधार पर पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा । स्थायी निःशक्त बालक/सहोदर भाई और बहन और आश्रित माता-पिता जिनको पेंशनभोगियों के पी पी ओ में प्राधिकृत किया गया है,यह प्ररुप कुटुंब पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करें ।

प्ररुप 14 में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

1. दावेदार के के दो नमूने हस्ताक्षर (पृथक पत्र में प्रस्तुत किया जाए) जो राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किए गए हैं ।

(किसी व्यक्ति द्वारा दो पर्चियाँ जिनमें से प्रत्येक पर आवेदक के बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापे हैं जो सम्यक रुप से अनुप्रमाणित की गई हैं जो अपना नाम हस्ताक्षरित करने में साक्षर नहीं है, यदि शारीरिक निःशक्तता के ऐसे कारण से बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली की छाप देने के लिए असमर्थ है तो वह दाहिने हाथ का अंगूठा और उंगली छाप दे सकेगा/सकेगी जहां सरकारी सेवक के दोनों हाथ न हो तो वह पैर की अंगुली छाप दे सकेगा/सकेगी जिसे राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए ।

2. दावेदार की फोटो की पासपोर्ट आकार की फोटो दो प्रतियां जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं ।

3. ऊंचाई और वैयक्तिक पहचान चिन्ह को दर्शित करने वाली दो पर्चियां, जो राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा अनुप्रमाणित हों

4. प्ररुप 3 में कुटुंब का ब्यौरा

5. आयु का/के प्रमाणपत्र जिसमें/जिनमें बालकों की जन्मतारीख दर्शित की गई है । यह प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों अथवा स्थानीय पंचायत केंद्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड / मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रमुख से होना चाहिए ।

6. पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए अधिक संदाय के प्रतिदाय के लिए वचनबंध

7. संरक्षक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठा और अंगुली छाप के नमूने सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किए जाएं, संरक्षक के मामले में जो अपने नाम हस्ताक्षरित करने के लिए पर्याप्त रुप से साक्षर नहीं है ।

8. संरक्षक/नामनिर्देशिती के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो अनुप्रमाणित प्रतियाँ

9. संरक्षक/नामनिर्देशिती की ऊंचाई और पहचान चिन्हों की विशिन्टियां दर्शित करने वाली वर्णनात्मक पंजी, सम्यक रुप से अनुप्रमाणित ।

10. पूर्व पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के पी पी ओ की प्रति

11. संरक्षक के स्थायी पते का सबूत

12. मृत कर्मचारी या पेंशनभोगियों /पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति ।

13. पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की पात्रता के संबंध में दस्तावेज की प्रति, यदि लागू हो ।

प्ररुप 22
(नियम 81(14) देखिए)
पेंशनभोगी की मृत्यु पर अवशि⬚ उपदान दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररुप
(प्रत्येक दावेदार द्वारा पृथक रुप से भरा जाए)

1 (i) पेंशनभोगी का नाम जिसकी बाबत अवशि-ट उपदान का दावा किया गया है ।
(ii) अंतिम बार किस कार्यालय/विभाग/मंत्रालय में सेवा की गई थी ।
(iii) वेतनभोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख
(iv) वेतनभोगी की मृत्यु की तारीख
(v) पेंशनभोगी की पीपीओ संख्या, यदि लागू हो

2. दावेदार (दावेदारों) का नाम और अन्य ब्यौरे, --

क्रम संख्या	नाम	जन्म तारीख	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	डाकपता

3. यदि दावेदार अवयस्क है/हैं या मानसिक मंदता सहित मस्ति-क के विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है/हैं तो सरंक्षक का ब्यौरा --

नाम	जन्म तारीख	अवयस्क के साथ नातेदारी	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	डाकपता

4. खाता संख्या, नाम और बैंक की शाखा का बी एस आर कोड जिसमें रकम जमा की जाती है ।

5. मृत पेंशनभोगी को मंजूर की गई मासिक पेंशन (तदर्थ वृद्धि सहित यदि कोई हो) की रकम /सेवा उपदान

6. मृत पेंशन भागी द्वारा प्राप्त सेवानिवृत्ति उपदान की रकम

7. मृत्यु की तारीख तक मृतक प्राप्त की गई पेंशन (तदर्थ वृद्धि सहित, यदि कोई हो) की रकम /सेवा उपदान

8. यदि मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन का कोई भाग संराशित कर लिया था तो पेंशन का संराशित मूल्य

9. मद 6, 7 और 8 का योग ।

10. परिलब्धियों के बारह गुने के बराबर मृत्यु उपदान की रकम

11. दावा किए गए अवशि-ट उपदान की रकम अर्थात् मद 10 और 9 के सामने दर्शित की गई रकम के बीच का अंतर

संलग्नक -- राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रुप से
अनुप्रमाणित हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के नमूने

दावेदार /संरक्षक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का नमूना
मोबाइल/टेलीफोन नं. ....
आयकर के लिए स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)..................
आधार संख्या, यदि कोई है ....

नामों और पूर्णपतों सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर
(i)
(ii)

टिप्पण 1. यदि ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की मृत्यु, जिसे सेवा उपदान या पेंशन मिल रही हो, उसकी सेवानिवृत्ति की

तारीख से जिसके अंतर्गत शास्ति स्वरुप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है, पांच वर्-ा के भीतर हो जाती है और ऐसे उपदान या पेंशनमद्दे जिसके अंतर्गत तदर्थ वृद्धि, यदि कोई हो, भी है, अपनी मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त की गई धनराशि मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान सहित और उसके द्वारा संराशित अपनी पेंशन के किसी भाग का संराशित मूल्य उसकी परिलब्धियों के 12 गुनी रकम से कम है तो कमी के बराबर की अवशि-ट उपदान की रकम कुटुंब को संदेय हो जाएगी । जब सरकारी सेवक पेंशन अर्जित करने से पूर्व सेवा निवृत्त हो गया है तब सेवा उपदान की रकम उपदर्शित की जानी चाहिए ।

टिप्पण 2. राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रुप से अनुप्रमाणित हस्ताक्षरों के दो नमूने पृथक पत्र में प्राप्त किए जाएंगे । सम्यक रुप से अनुप्रमाणित बाएं हाथ में अंगूठे और उंगली छापे वाली प्रत्येक दो पर्चियां प्राप्त की जाएं जो अपने नाम हस्ताक्षरित करने के लिए साक्षर नहीं है,, शारीरिक निःशक्तता के कारण यदि ऐसा व्यक्ति बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली छाप देने में असमर्थ हैं तो वह दाहिने हाथ का अंगूठा और उंगली छाप दे सकेगा । जहां सरकारी सेवक दोनों हाथ खो चुका है वहो वह पैर की उंगली की छाप दे सकेगा जिसे सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रुप से अनुप्रमाणित होना चाहिए ।